HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6152/2026
URN: CRLMB / 10989U / 2026

Rajendra S/o Kaluram, Aged About 32 Years, R/o Badiyal Kalan, Hudi Ka Bas, Tehsil Bandikui, District Dausa.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nirmal Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Jai Prakash Tiwari, PP with Mr. Gaurav Gupta, AGA

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

03/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना– बांदीकुई (दौसा) जिला– दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 88/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में 7.83 ग्राम स्मैक की बरामदगी अन्य सहअभियुक्त दीपक व महेश से की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में इस प्रकार की कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने यह जानते हुए कि अन्य सहअभियुक्त स्मैक परिवहित करेगा उक्त मोटरसाईकिल उन्हें उपलब्ध कराई हो और स्मैक का परिवहन करने में उसकी कोई संबद्धता रही हो। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करने को तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजेंद्र पुत्र कालूराम** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, पुलिस थाना– बांदीकुई (दौसा) जिला– दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की सूरत में यदि प्रार्थी/अभियुक्त उनके संतोषप्रद पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर आजाद कर दिया जावेः–

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।

2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

37/RAMESHWAR